



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या: 16/22/2025-Admn./E.257155

दिनांक: 16/06/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी के स्थान पर अन्य अधिकारी के नामांकन के संबंध में।

संदर्भ: परिषद का कार्यालय ज्ञापन सं. 16/22/2025-Admn./E.Office.257155 दिनांक 13.01.2026

उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, श्री महेंद्र सिंह पाल, पीटीओ-एचआरडी, जो दिनांक 31.07.2026 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के स्थान पर श्री हेमंत कुमार, पीटीओ-एनसीडी को ICMR मुख्यालय स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित कार्यों के समन्वय, अनुश्रवण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को समेकित अनुपालन विवरण उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.01.2026 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित नोडल अधिकारी की समस्त जिम्मेदारियाँ एवं दायित्व श्री हेमंत कुमार, पीटीओ-एनसीडी द्वारा निर्वहन किए जाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

Digitally signed by
Jaibir Singh

(जयदीप सिंह) 18-06-2026

सहायक महानिदेशक (प्रशासन) 16/20/21

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद के सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त)
4. श्री हेमंत कुमार, पीटीओ-एनसीडी
5. श्री महेंद्र सिंह पाल, पीटीओ-एचआरडी
6. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

भारतीय आयुर्वेदानुसंधान पारेषद
(प्रशासन)

सं.16/22/2025-Admn./E.Office.257155

दिनांक: 13/01/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ICMR मुख्यालय के लिए नोडल अधिकारी के नामांकन के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *Suo Motu W.P. (C) No. 5/2025 - "IN RE: CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE"* में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.12.2025 के अनुपालन में, ICMR मुख्यालय स्तर पर समन्वय, अनुश्रवण एवं मंत्रालय को समेकित अनुपालन विवरण उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी का नामांकन किया जाना है।

अतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से श्री महेंद्र सिंह पाल, पीटीओ - एचआरडी को ICMR मुख्यालय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

1. ICMR मुख्यालय परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रशासनिक/संरचनात्मक उपाय सुनिश्चित करना।
2. त्रैमासिक निरीक्षण सुनिश्चित करना।
3. परिसर में स्वच्छता बनाए रखना तथा परिसर में पाए जाने वाले किसी भी आवारा कुत्ते को तत्काल हटवाना तथा स्थानीय नगर निगम/निकाय के साथ समन्वय कर उनका नसबंदी एवं टीकाकरण सुनिश्चित करना।
4. संबंधित स्थानीय निकायों के साथ सतत समन्वय बनाए रखना।
5. सभी ICMR संस्थानों/केन्द्रों से प्राप्त अनुपालन रिपोर्टों का संकलन एवं समेकन करना।
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग को समयबद्ध रूप से समेकित अनुपालन विवरण उपलब्ध कराना।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन की सतत निगरानी करना।

उपरोक्त संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया संबंधित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.12.2025 विस्तृत जानकारी तथा अनुपालन हेतु संलग्न है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Digitally signed by
Jaibir Singh

Date: 13-01-2026
18:19:39

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रति,

श्री महेंद्र सिंह पाल, पीटीओ - एचआरडी, मुख्यालय

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त)
3. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।